प्रेसनोट दिनांक 30-07-2019 जनपद मुरादाबाद।

1- घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मझोलाः-

दिनांक 27-07-2019 को वादी श्री दीपक भारद्वाज पुत्र देवेन्द्र भारद्वाज निवासी मकान नम्बर 21 वामन कोठी थाना मझोला ने अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर की खिड़की तोड़कर घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना मझोला में तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना मझोला में मु0अ0सं0-617/19 धारा 457/380/511 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 29-07-2019 को उ0नि0 श्री जितेन्द्र तोमर थाना मझोला ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त जीकेश पुत्र राम भरोसे निवासी ग्राम मंगूपुरा थाना मझोला को जीरो प्वाइन्ट से समय 13.30 बजे गिरफ्तार किया।

2- नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, अपहृता बरामद, थाना बिलारीः-

दिनांक 22-07-2019 को वादी .... निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना बिलारी ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा जानकारी करने पर वादी को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिलारी में मु0अ0सं0-321/19 धारा 363/366/504 भादवि बनाम 04 व्यक्ति नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 30-07-2019 को उ0नि0 श्री तेजेन्द्र सिंह बालियान थाना बिलारी ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ भूरे पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम दूमडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को रोडबेज बस स्टैण्ड कस्बा बिलारी से समय 11.50 बजे गिरफ्तार किया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया।

3- अपहृता सकुशल बरामद, थाना कुन्दरकीः-

दिनांक 16-06-2019 को वादी .... निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना कुन्दरकी ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री उम्र 19 वर्ष को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुन्दरकी में तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना कुन्दरकी में मु0अ0सं0-109/19 धारा 366 भादवि बनाम एक व्यक्ति नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 30-07-2019 को उ0नि0 श्री राम चन्द्र सिंह थाना कुन्दरकी ने मय हमराही महिला पुलिस बल अपहृता उपरोक्त को ग्राम कमालपुर अड्डा से समय 11.45 बजे सकुशल बरामद किया। नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

4- कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वाराः-

दिनांक 29-07-2019 को उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नरेन्द्र सैनी पुत्र थान सिंह निवासी शेरपुर पट्टी थाना ठाकुरद्वारा को उसके घर से 35 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया। उक्त सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा में मु0अ0सं0-309/19 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।